जावक क्र. 05 ...... दिनांक 1/4/06

XXX-Part-21

फार्म क्रमांक 2

(देखिये नियम 7)

मध्यप्रदेश शासन

समिति का पंजीयन प्रमाण पत्र

क्रमांक **07/36/07/06192/06**

यह प्रमाणित किया जाता है कि नलखेड़ा स्वामी सांदीपेन्द संस्कृत विद्या परषिद, समिति जो माँ बगलामुखी मन्दिर के नजदीक, स्वामी सांदीपेन्द आश्रम नलखेड़ा, **तहसील** नलखेडा **जिला** शाजापुर **में स्थित है, मध्यप्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (सन् 1973 का क्रमांक 44) के अधीन 01/04/2006 को पंजीयित की गई है।**

दिनांक एक माह अप्रेल सन् 2006

1/4/2006

(आलोक नागर)

सहायक पंजीयक

समितियों के रजिस्ट्रार

असिस्टेंट रजिस्ट्रार ऑफ संस्थायें

मुद्रा

उज्जैन संभाग उज्जैन

कार्यालय सहायक पंजीयक फर्म्स एवं संस्थाऐं उज्जैन संभाग
प्रशासनिक भवन, उ. वि. प्राधि., ब्लाक–सी,तृतीय मंजिल,भरतपुरी,उज्जैन

क्रमांक/संशोधन/ 1863 /10 उज्जैन,दिनांक 27-10-10

प्रति,

सचिव
नलखेड़ा स्वामी सांन्दीपेन्द्र संस्कृत विद्या परिषद
माँ बगलामुखी मंदिर के नजदीक स्वामी सांन्दीपेन्द्र
आश्रम नलखेड़ा जिला शाजापुर

विषयः–संशोधित ज्ञापन/नियमावली का रजिस्ट्रीकरण ।

संदर्भः– आपका आवेदन प्राप्त दिनांक 11–10–2010

संस्था नलखेड़ा स्वामी सांन्दीपेन्द्र संस्कृत विद्या परिषद, पंजीयन कमांक 07/36/07/06192/06 दिनांक 01–04–2006 पर पंजीकृत है । जिस पर मध्य प्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 (संशोधित 1998) के समस्त प्रावधान प्रभाशील है ।

संस्था की ओर से संदर्भित दिनांक को ज्ञापन/नियमावली में संशोधन किये जाने संबंधी प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जिसका आज दिनांक 27–10–2010 को रजिस्ट्रीकरण किया जाता है ।

कृपया संशोधित ज्ञापन / नियमावली का कठोरता से पालन करें ।

(अजय खरे)
सहायक पंजीयक

क्रमांक 2016 दि. 25-11-10

प्रारूप क्रमांक 1

(देखिये नियम 3)

समितियों के पंजीयन हेतु ज्ञापन-पत्र

1. समिति का नाम :- नलखेडा स्वामी सांन्दीपेन्द्र संस्कृत विद्या परिषद नलखेडा होगा।

2. समिति का कार्यालय :- माँ बगलामुखी मंदिर के नजदीक स्वामी सांन्दीपेन्द्र आश्रम नलखेडा तहसील नलखेडा जिला शाजपुर म.प्र.।

संशोधन किया गया।
संशोधन क्र. 6192 दि. 1-4-10
संशोधन दिनांक 27-10-10
सं.पं.

3. समिति के उद्देश्य निम्नलिखित होंगे :-

1. वैदिक शिक्षा का प्रचार-प्रसार करना।
2. वैदिक शिक्षा हेतु विद्यालय का संचालन करना।
3. संस्कृत विद्यापीठ की स्थापना करना एवं संचालन करना।
4. वैदिक शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों की आवास एवं भोजन व्यवस्था निःशुल्क करना।
5. वैदिक शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्र/छात्राओं के लिए पुस्तकें/वाचनालय की स्थापना करना एवं संचालन करना।
6. ज्योतिष एवं संगीत की शिक्षा हेतु विद्यालय की स्थापना करना एवं संचालन करना।
7. ~~[illegible]~~ आर्थिक रूप से कमजोर लोगों मूलतः ग्रामीण व आदिवासी को योजनाओं से जोडना एवं इनके लिये कल्याण एवं ~~[illegible]~~ विकास की योजनाओं का क्रियान्वयन व संचालन का कार्य करना व इस हेतु राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों से वित्तीय, तकनीकी व अन्य मदद प्राप्त करना।
8. भू-जल संवर्धन, जल, भूमि, वन एवं पर्यावरण संरक्षण को बढावा देना एवं इस हेतु जन जागरूकता प्रशिक्षण आदि के कार्य करना। पोधारोपण सामाजिक ~~वानिकी~~ तकनीकी नर्सरी एवं ~~[illegible]~~ वनोपज तेंदूपत्ता इत्यादि का कार्य करना। जलग्रहण, भूमि विकास के कार्य करना। उर्जा, वन एवं पर्यावरण की सुरक्षा व संरक्षण गैर परम्पराग उर्जा (पवने, सोलर, बायोगैस) व ईधन (बायोडिजल और ईथनोल आदि) के साधनों को बढावा देना तथा इसके महत्व को जन-जन तक पहुंचाने के लिये विभिन्न कार्यक्रमों तथा परियोजना का संचालन करना।
9. लोक स्वास्थ्य, परिवार कल्याण एवं महिला एवं बाल स्वास्थ्य से संबंधित योजनाओं का क्रियान्वयन करना तथा स्वास्थ्य के प्रति लोगों जागरूकता लाने हेतु विभिन्न कार्यक्रमों को आयोजन करना। एच.आई.वी./एड्स एवं अन्य रोगों के प्रति जनता में जागरूकता फेलाना एवं रोकथाम हेतु कार्य करना तथा रक्त दान को बढावा देने हेतु शिविर का आयोजन करना।
10. उपभोक्ता जागरूकता के लिये विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यमों से आम जनता को उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूक करना ~~[illegible]~~

अध्यक्ष   सचिव   कोषाध्यक्ष

संशोधन सहित सही प्रतिलिपि दिनांक 14/8/2010

... करना । सम्पूर्ण भारत मे कही भी निर्मित किसी भी वस्तु के उचित मापदण्डो का पालन करने के लिये निर्माताओं को बाध्य करना व उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही हेतु उपभोक्ता की मदद करना.। सूचना के अधिकारो को प्रचार प्रसार व उनके उपयोग के लिये आम जनता को जागरूक करना ।

11. बागवानी, पशुपालन, मछली, मुर्गी, भेड़ इत्यादि के ... न, जैविक खेती, औषधि खेती को बढ़ाने ... प्रोत्साहित करना ... उपलब्धता के लिये नर्सरी, फार्म हाउस व उन्नत प्रजातियों के वितरण केन्द्रो की स्थापना ... किसानों के हित मे विभिन्न कार्यक्रमो का आयोजन करना साथ ही उन्नत खेती हेतु ... तकनीक (खादय/कीटनाशक/उन्नत बीज) कृषकों को अवगत तथा उपलब्ध करना तथा इसके प्रचार प्रसार एवं उपयोग को बढावा देना ।

12. वृद्ध, निराश्रित, विधवा, परित्यागता एवं मानसिक रूप से विक्षिप्त, व देह व्यापार मे लिप्त महिलाओ एवं पुरूषो के पुर्नवास का कार्य करना। महिलाओं/ और बच्चों व वृद्धो के कल्याण हेतु सरकारी एवं गैर सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन एवं कार्यक्रमों का संचालन कराना। महिला उद्यमी व नारियों को विकास मे सहयोगी बनाने एवं छात्राओं को शिक्षा मे प्रोत्साहन परिक्षण एवं पुरस्कार प्रदान करना ।

13. अनाथ बच्चो के कल्याण एवं विकास हेतु अनाथालय एवं पुर्नवास केन्द्रो के माध्यम से बालकों को समुचित विकास के अवसर प्रदान करना । बाल विकास योजनाओं का संचालन करना बालकों के बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक विकास को बढ़ावा देने के लिए परिवार कल्याण कार्यक्रमों, पोषण आहार (माध्यन भोजन, आंगनबाडी/झूलाघर केन्द्रो) का संचालन करना । प्रारंभिक शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन आदि मूलाधार कार्यक्रमों के माध्यम से संरक्षण संवर्धन की गतिविधियों को संचालित करना ।

14. सामाजिक रूप से पिछड़े समुदायों, अल्पसंख्यक, आदिवासी, अनुसूचित जातियों (एस.सी/एस.टी) भूमिहीन व बंधुआ मज्दुर, लघु कृषकों, सीमांत कृषकों के उत्थान के लिए विकास की विभिन्न गतिविधियो का सचांलन करना केन्द्र सरकार की ग्रामीण विकास कृषि गरीबी उन्मूलन सामाजिक कल्याण जैसे अन्य मंत्रालयों की नीतियों की वकालत/जागरूकता, कियान्वयन गैर कृषिगत क्षेत्र से आय के स्त्रोतों को विकसित करना तथा छोटी बचत करने वाले समूहों का गठन कर आपस में मिल जुलकर कार्य करने की भावना को बढ़ावा देना

15. प्राकृतिक आपदायें जैसे - बाढ़, भूकंप, सूखा, महामारी, जैसी स्थिति को संभालने के लिए हर संभव प्रयास कर राहत पहुंचाना एवं इस कार्य मे अन्य संस्थाओं तथा व्यक्तियों के माध्यम से

अध्यक्ष
स्वामी सांदीपेन्द्र संस्कृत विद्या परिषद
नलखेड़ा जिला शाजापुर (म.प्र.)

संशोधन किया गया।
पंजीयन क्र. 6192 दि. 1-4-06
संशोधन दिनांक 27-10-10

राहत सामग्री प्राप्त करने की व्यवस्था कर पीड़ितों को लाभ पहुंचाना आर्थिक विकास एवं उद्योगिकरण के कारण विस्थापित लोगो का पूर्नवास करना ।

16. शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के कमजोर एवं विकलांग लोगो के लिये रोजगारोन्मुख शिक्षा एवं स्वरोजगार के लिये प्रशिक्षण, उघमिता विकास कार्यक्रम का संचालन। समाज के विभिन्न वर्गो के सशक्तिकरण व उनकी कौशल दक्षताओं के विकास हेतु विभिन्न प्रशिक्षण तथा क्षमता विकास कार्यक्रमों को आयोजन करने के लिए केन्द्र व राज्य सरकार के विभिन्न मंत्रालय युवा केन्द्रो पंचायतो इत्यादि का सहयोग लेना । कमजोर वर्गो के शिक्षित बेरोजगारो को तकनीकी एवं रोजगारनुमा प्रशिक्षण कार्यक्रमो के माध्यम से प्रशिक्षण [illegible] करना।

17. समाज के शैक्षणिक एवं आर्थिक विकास के लिये शिक्षण संस्थान स्कूल, कॉलेज एवं तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना करना एवं उनका संचालन करना। शिक्षा के विस्तार हेतु शिक्षा को रूचि पूर्ण बनाने हेतु रूचिपूर्ण (खेल खेल मे शिक्षा) शिक्षण सामग्री एवं तकनीक का निर्माण एवं इस हेतु राष्ट्रीय एवं अन्तराष्ट्रीय स्तर के उत्कृष्ट, हेरिटेज, सेतू स्कूल स्थापना एवं क्रियान्वयन/संचालन करना, इस हेतु सरकारी एवं गैर सरकारी देशी-विदेशी संस्थाओं से आर्थिक एवं तकनीकि सहयोग प्राप्त करना।

18. [illegible] भारत के प्राचीन एवं पुरातात्विक संग्रहालयों हेतु ऐसे कार्यो को करना जिनसे उनका संरक्षण हो।

19. समाज व शिक्षा के क्षेत्र मे नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यो की स्थापना हेतु सामाजिक व शैक्षणिक संस्थाओं के माध्यम से आत्म अनुशासन एवं आदर्श राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण करना।

20. सामाजिक विकास के लिये रिसर्च, सर्वे, स्टडी, सामाजिक अध्ययन, पी.आर.ए. टी.ओ.टी एवं रिसोर्स केन्द्र का गठन करना।

21. भू-जल संवर्धन के उपायों एवं भूमि विकास के लिये कार्य करना, सूखे से मुक्ति हेतु कार्य करना, जलग्रहण विकास के कार्य करना। ऊर्जा, वन एवं पर्यावरण की सुरक्षा हेतु समर्पित भाव से कार्य करना एवं इसके महत्व को जन-जन तक पहुंचाने के लिये विभिन्न कार्यक्रमों तथा परियोजना का संचालन करना।

अध्यक्ष
स्वामी सांदीपेन्द्र संस्कृत विद्या परिषद
नलखेड़ा जिला शाजापुर (म.प्र.)

सचिव
स्वामी सांदीपेन्द्र संस्कृत विद्या परिषद
नलखेड़ा जिला शाजापुर (म.प्र.)

कोषाध्यक्ष

[illegible] किया गया।
पंजीयन क्रं. 6192 दि. 1-4-06
संशोधन दिनांक 27-10-10

22. शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के कमजोर एवं विकलांग लोगों के लिये रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण एवं स्वरोजगार के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन। समाज के विभिन्न वर्गों के सशक्तिकरण व उनकी दक्षताओं के विकास हेतु विभिन्न प्रशिक्षण तथा क्षमता विकास कार्यक्रमों को आयोजन करना। कमजोर वर्गों के शिक्षित बेरोजगारों को तकनीकी एवं रोजगारनुमा प्रशिक्षण कार्यकमो के माध्यम से प्रशिक्षण देकर रो[illegible] करना।

23. बागवानी, पशुपालन, जैविक खेती, औषधि खेती को बढ़ावा देना तथा लोगों को इसके लिये प्रोत्साहित करना। तथा किसानो के हित में विभिन्न कार्यकमो का आयोजन करना साथ ही उन्नत खेती हेतु ~~नवनी~~ नवीन तकनीक से कृषकों को आवगत करना तथा इसके लिये कार्य करना।

24. वृद्ध, निराश्रित, विधवा, ~~प्रित्यागिता~~ परित्यक्ता एवं मानसिक रूप से विशिष्ट महिलाओं, और बच्चों के कल्याण हेतु समर्पित भाव से सरकारी एवं गैर सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन एवं कार्यकमों का संचालन कराना।

25. सामाजिक आस्था के प्रतीक प्राचीन, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक धरोहरों एवं आध्यात्मिक प्रतिष्ठानों का शोध कर उनके संरक्षण संवर्धन हेतु व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करना तथा सांस्कृतिक आध्यात्मिक केन्द्रों की स्थापना एवं संचालन करना ।

26. सामाजिक रूप से पिछड़े समुदायों, ~~आदिवासी~~ अनु. जाति औरतों, अनुसूचित जातियों भूमिहीन लघु कृषकों को प्राकृतिक संसाधन प्रदान करना । गैर कृषिगत क्षेत्र से आय के स्त्रोतों को विकसित करना तथा छोटी बचत करने वाले समूहों का गठन कर आपस में मिल जुलकर कार्य करने की भावना को बढ़ावा देना

27. समस्त शासकीय व गैर शासकीय मानव कल्याण की योजनाओं के क्रियान्वयन व संचालन करना व इस हेतु राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों से वित्तीय व अन्य मदद प्राप्त करना । एवं ऐसे समस्त कार्य करना जो उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक हों ।

28. बालकों को समुचित विकास के अवसर प्रदान करने के कलए बाल विकास योजनाओं का संचालन करना बालकों के बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक विकास को बढ़ावा देने के लिए परिवार कल्याण कार्यक्रमों, पोषण आहार कार्यक्रमों, प्रारंभिक शिक्षा, स्वास्थ्य मनोरंजन आदि मूलाधार कार्यक्रमों के माध्यम से संरक्षण संवर्धन की गतिविधियों को संचालित करना ।

29. सामाजिक शैक्षणिक उन्नति के लिये पुस्तकालय, संगीत, कला, व्यायाम ~~शालाऔं~~ शालाओं की स्थापना करना । स्वस्थ्य पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन करवाना तथा भारत के प्राचीन एवं पुरातात्विक संग्रहालयों हेतु ऐसे कार्यो को करना जिनसे उनका संरक्षण हो।

अध्यक्ष	सचिव	कोषाध्यक्ष
स्वामी सांदीपेन्द्र संस्कृत विद्या परिषद नलखेड़ा जिला शाजापुर (म.प्र.)	स्वामी सांदीपेन्द्र संस्कृत विद्या परिषद नलखेड़ा जिला शाजापुर (म.प्र.)	स्वामी सांदीपेन्द्र संस्कृत विद्या परिषद नलखेड़ा जिला शाजापुर (म.प्र.)

पंजीयन किया गया।
पंजीयन क्रं 6192 दि. 1-4-06
संशोधन दिनांक 27-10-10

29. समाज व शिक्षा के क्षेत्र में नैतिक एवं आध्यात्मिक मुल्यों की स्थापना हेतु सामाजिक एवं शैक्षणिक संस्थाओं के माध्यम से आत्म अनुशासन एवं आदर्श राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण करना।

30. समस्त शासकीय व गैर शासकीय कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन व संचालन का कार्य करना व इस हेतु राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों से वित्तीय व अन्य मदद प्राप्त करना ।

31. सामाजिक आस्था के प्रतीक प्राचीन, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक धरोहरों एवं आध्यात्मिक धार्मिक-स्थलों का चयन कर उनके संरक्षण सवंर्धन हेतु व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करना तथा सांस्कृतिक आध्यात्मिक केन्द्रों की स्थापना एवं संचालन करना ।

32. समाज में शिक्षा, कला, हस्तशिल्प, साहित्य, खेल एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों को बढ़ाने हेतु कार्य करना, व इलेक्ट्रानिक मिडिया सम्बंधित गतिविधियों का संचालन करना व उपरोक्त क्षेत्र के अभावग्रस्त व्यक्तियों, उनके हितों की सहायता व मंच प्रदान करना ।

34. सभी को शिक्षा के लोक व्यापी बनाने हेतु आगंन बाड़ी, बाल बाडी माध्यमिक प्राथमिक शिक्षा उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की व्यवस्था करना।

35. अनाथ बालक / बालिकाओ को शिक्षा छात्रावास जैसी मूलभूत सुविधाओ की व्यवस्था करने का प्रयास करना।

36. शिक्षित बरोजगारो को विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक तथा तकनीकि प्रशिक्षण प्रदान करना तथा महिलाओ को सिलाई कढ़ाई का प्रशिक्षण प्रदान करना।

37. अनेकानेक कार्यक्रमो के माध्यम से जन समुदाय को अपने अधिकारो कर्तव्यो शिक्षा साहित्य संस्कृति विज्ञान पर्यावरण परिवार कल्याण वनो खेलो को लोक व्यापी बनाने का प्रयास करना।

38. नारी शोषण, दहेज प्रथा, बालविवाह जैसी कुप्रथा को समाप्त करने हेतु तथा बाल श्रमिक सुधार गृह, वृद्ध आश्रम, नशा मुक्ति केन्द्रो की स्थापना करना तथा शिक्षा को बुनियादी प्रशिक्षण प्रदान करना।

39. [illegible] व्यक्तिगत् स्वामित्व वाली भूमि पर, वृक्षारोपण करना तथा सामाजिक, वानिकी नर्सरी तैयार करना एवं इनका प्रचार प्रसार करना।

40. परिवहन विभाग के विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन करना एवं विभाग से संबंधित नियमों की जानकारी देने हेतु प्रशिक्षण शिविर लगाना एवं प्रचार प्रसार करना।

41. श्रम विभाग एवं श्रम कल्याण मण्डल द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी श्रमिकों को देना एवं इनके अधिकारों की जानकारी देने हेतु प्रशिक्षण शिविर आयोजित करना।

42. [illegible] का [illegible]।

अध्यक्ष	सचिव	कोषाध्यक्ष
स्वामी सांदीपेन्द्र संस्कृत विद्या परिषद	स्वामी सांदीपेन्द्र संस्कृत विद्या परिषद	स्वामी सांदीपेन्द्र संस्कृत विद्या परिषद
नलखेड़ा जिला शाजापुर (म.प्र.)	नलखेड़ा जिला शाजापुर (म.प्र.)	नलखेड़ा जिला शाजापुर (म.प्र.)

पंजीयक फर्म्स एवं संस्थाएं
पंजीयन क्र. 6192 दि. ...
पंजीयन दिनांक 27-10-10

43. पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का संचालन करना एवं इन योजनाओं की जानकारी ग्रामीण क्षेत्र तक पहुँचाने के लिए शिविर आयोजित कर विभिन्न माध्यमों से इनका प्रचार प्रसार करना।

44. अनुसुचित जाति, जनजाति एवं आदिवासी बहुल क्षेत्रों में स्कूल महाविद्यालय एवं छात्रावास स्थापित करना तथा स्वरोजगार हेतु विभिन्न प्रकार के तकनिकी प्रशिक्षण देना।

45. फसलों एवं फलों के संरक्षण के लिए [illegible] का निर्माण [illegible] किसानों को जागरूक बनाने के लिए प्रशिक्षण देना।

46. पर्यावरण नियोजन एवं प्रदुषण से संबंधित विभिन्न योजनाओं का क्रियांवयन करना तथा विभिन्न माध्यमों से इसका प्रचार प्रसार करना।

47. हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास से संबंधित विभिन्न शासकीय योजनाओं का क्रियांवयन करना एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को जागरूक बनाना।

48. सूचना एवं प्रोद्योगिकी विभाग (एजेंसी फॉर प्रमोशन ऑफ इंफोरमेशन टेक्नोलोजी) से जुड़ी सभी योजनाओं का क्रियांवयन, सहयोग करना एवं इस हेतु प्रचार प्रसार करना।

49. होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी महाविद्यालय एवं प्रशिक्षण संस्थान [illegible] एवं इसकी जानकारी [illegible] तक पहुँचाने के लिए विभिन्न माध्यमों से प्रचार प्रसार करना।

50. खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित की जा रही विभिन्न योजनाओं का क्रियांवयन एवं सहयोग करना। एवं इन योजनाओं की जानकारी लोगों को पहुँचाने के लिए विभिन्न माध्यमों से इसका प्रचार प्रसार करना।

संशोधित मान्य 8/10/12

अध्यक्ष
स्वामी सांदीपेन्द्र संस्कृत विद्या परिषद
नलखेड़ा जिला शाजापुर (म.प्र.)

सचिव
स्वामी सांदीपेन्द्र संस्कृत विद्या परिषद
नलखेड़ा जिला शाजापुर (म.प्र.)

कोषाध्यक्ष
स्वामी सांदीपेन्द्र संस्कृत विद्या परिषद
नलखेड़ा जिला शाजापुर (म.प्र.)

संशोधन किया गया।
पंजीयन क्रं 6192 दि. 1-4-06
संशोधन दिनांक 27-10-10

4. समिति के प्रबंध विनियमों द्वारा समिति के कार्यो का प्रबंध "शासक परिषद, संचालकों, सभा, या शासी-निकाय को सौंपा गया है। जिनके नाम, पते तथा धन्धों का उल्लेख निम्नांकित है :-

क्र.	पिता/पति का नाम	पद	पूर्ण पता	
1.	श्री हरिकृष्ण शरणम बापू पिता परम देव	सदस्य	श्रीकृष्ण गौशाला ग्राम बिरगोद पो. बेरछा जिला शाजापुर म.प्र.	साधु
2.	श्री स्वामी सांदीपेंद्र गरूणध्वाजाचार्यजी महाराज	अध्यक्ष	मां बगलामुखी मंदिर के पास सांदीपेन्द्र स्वामी आश्रम नलखेडा जिला शाजपुर	साधु
3.	[illegible] पिता धुरालाल सकलेचा	उपाध्यक्ष	भवन क्रं. 51 विनोबा मार्ग, नलखेडा जिला शाजापुर	सिनियर सिटीजन
4.	हेमंत कुमार देवनारायणजी टेलर	सदस्य	भं. कं. 106, लालपुरा कांजीहाउस के पास शाजापुर जिला शाजापुर	व्यापार
5.	हेमराज शर्मा, मुन्नालाल शर्मा	कोषाध्यक्ष	भं. कं. 157 निमा कालोनी नलखेडा जि. शाजापुर	कृषक
6.	मनोज कुमार हनुमानप्रसाद खण्डेलवाल	सचिव	मं.कं.ई/61 मुकर्जी मार्ग नलखेडा जि. शाजापुर	व्यापार
7.	रोहित कुमार प्रकाशचंद सकलेचा	संयुक्त सचिव	भं.क्रं.51 अशोक मार्ग नलखेडा जि. शाजापुर	व्यापार
8.	लाला बलराम सिंह पिता सजनसिंह	सदस्य	ग्राम लसुल्डिया केलवा तह. नलखेडा जिला शाजापुर	कृषक
9.	कैलाश चन्द्र पिता रामचन्द्रजी सोनी	सदस्य	भं.क्रं.71 जवाहर मार्ग नलखेडा जि. शाजापुर	व्यापार
10	भगवानसिंह देवी सिंह सीसोदिया	सदस्य	ग्राम सुरजनी तह. नलखेडा जिला शाजापुर	कृषक
11	शिवपाल सिंह पिता मदनसिंह चौहान	सदस्य	भं.कं.हरायपुरा शाजापुर जि. शाजापुर	व्यापार

उपरोक्त प्रमाणित प्रति पंजीयन के समय ज्ञापन-पत्र की है, यह कार्यकारिणी वैधानिक सूचि नहीं है।

अध्यक्ष

सचिव

कोषाध्यक्ष

निरन्तर 2

पंजीयन क्र. 6192 दि. 1-4-06
संशोधन दिनांक 27-10-10

ह० पं०

5. समिति के इस ज्ञापन-पत्र के साथ समिति के विनियमों की एक प्रमाणित प्रति जैसा कि मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (1973 क 44) की धारा 5 की उप-धारा (1) के अधीन अपेक्षित है, संलग्न है।

हम, अनेक व्यक्ति जिनके नाम और पते नीचे लिखे है, समिति का निर्माण उपरोक्त ज्ञापन-पत्र के अनुसार करने के इच्छुक है तथा ज्ञापन-पत्र पर निम्नांकित साक्षियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किये है।

क्र.	निर्माणकर्ताओं के नाम, पूर्ण पते, पिता/पति का नाम सहित		हस्ताक्षर
(1)	(2)		(3)
1.	श्री हरिकृष्ण शरणम बापू पिता परम देव	श्रीकृष्ण गौशाला ग्राम बिरगोद पो. बेरछा जिला शाजापुर म.प्र.	SD
2.	श्री स्वामी सांदीपेंद्र गरूणध्वाजाचार्यजी महाराज	मां बगलामुखी मंदिर के पास सांदीपेन्द्र स्वामी आश्रम नलखेडा शाजापुर	SD
3.	भेरूलाल पिता पुरालाल सकलेचा	भवन क्र. 51 विनोबा मार्ग, नलखेडा जिला शाजापुर	SD
4.	हेमंत कुमार देवनारायणजी टेलर	भ. क्र. 106, लालपुरा कांजीहाउस के पास शाजापुर जिला शाजापुर	SD
5.	हेमराज शर्मा, मुन्नालाल शर्मा	भ. क्र. 157 निपा कालोनी नलखेडा जि. शाजापुर	SD
6.	मनोज कुमार हनुमानप्रसाद खण्डेलवाल	भ.क्र.ई/61 मुकर्जी मार्ग नलखेडा जि. शाजापुर	SD
7.	रोहित कुमार प्रकाशचंद सकलेचा	भ.क्र.51 अशोक मार्ग नलखेडा जि. शाजापुर	SD
8.	लाला बलराम सिंह पिता सजनसिंह	ग्राम लसुल्डिया केलद तह. नलखेडा जिला शाजापुर	SD
9.	कैलाश चन्द्र पिता रामचन्द्रजी सोनी	भ.क्र.71 जवाहर मार्ग नलखेडा जि. शाजापुर	SD
10	भगवानसिंह देवी सिंह सोंधिया	ग्राम सुरजनी तह. नलखेडा जिला शाजापुर	SD
11.	शिवपाल सिंह पिता मदनसिंह चौहान	भ.क्र.हरायपुरा शाजापुर जि. शाजापुर	SD

उपरोक्त प्रमाणित प्रति पंजीयन के समय ज्ञापन-पत्र की है, यह कार्यकारिणी वैधानिक पूर्ति

पंजीयन क्र. 6192 1-4-06 की पंजीयत आमजन नियमावली की प्रमाणित प्रतिलिपि क्रमां. दि. 27-10-10

25.11.10

असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार
फर्म्स एवं संस्थाएं, उज्जैन संभाग उज्जैन

साक्षी

हस्ताक्षर............SD

नाम - नन्दकिशोर S/o मोतीलालजी दुबे

पूर्ण पता 111 अग्रवाल कालोनी शाजापुर

अध्यक्ष

सचिव

कोषाध्यक्ष

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

17AA 268985

संस्था [illegible]

पता [illegible]

पंजीयन क्रमांक 6192 दिनांक 1-4-06

पंजीयन प्रमाण-पत्र / ज्ञापन / नियमावली संशो. दि. 27-10-10

की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ संलग्न है।

क्रमांक 2016 दि. 25-11-10

पंजीयन क्रमांक 6192 दि. 1-4-06
संशोधन दिनांक 27-10-10

नियमावली

संस्था का नाम :- नलखेड़ा स्वामी सांन्दीपेन्द्र संस्कृत विद्या परिषद नलखेड़ा

संस्था का कार्यालय :- माँ बगलामुखी मंदिर के नजदीक स्वामी सांन्दीपेन्द्र आश्रम नलखेड़ा तहसील नलखेड़ा

:- जिला शाजापुर म.प्र.।

संस्था का कार्यक्षेत्र :- सम्पूर्ण म.प्र. होगा।

संस्था का उद्देश्य :-

संशोधन परिषद बैठक दिनांक 14/8/2010

1. वैदिक शिक्षा का प्रचार-प्रसार करना।
2. वैदिक शिक्षा हेतु विद्यालय का संचालन करना।
3. संस्कृत विद्यापीठ की स्थापना करना एवं संचालन करना।
4. वैदिक शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों की आवास एवं भोजन व्यवस्था निःशुल्क करना।
5. वैदिक शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्र/छात्राओं के लिए पुस्तकें/वाचनालय की स्थापना करना एवं संचालन करना।
6. ज्योतिष एवं संगीत की शिक्षा हेतु विद्यालय की स्थापना करना एवं संचालन करना।
7. [illegible] आर्थिक रूप से कमजोर लोगो मूलतः ग्रामीण व आदिवासी को योजनाओं से जोडना एवं इनके लिये कल्याण एवं [illegible] विकास की योजनाओं का क्रियान्वयन व संचालन का कार्य करना व इस हेतु राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय संगठनो से वित्तीय, तकनीकी व अन्य मदद प्राप्त करना।
8. भू-जल संवर्धन, जल, भूमि, वन एवं पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना एवं इस हेतु जन जागरूकता प्रशिक्षण आदि के कार्य करना। पौधारोपण सामाजिक ~~वानिकी~~ (वानिकी) नर्सरी एवं ~~[illegible]~~ (जलाशय)-तैयार करना इत्यादि का कार्य करना। जलग्रहण, भूमि विकास के कार्य करना। ऊर्जा, वन एवं पर्यावरण की सुरक्षा व संरक्षण गैर परम्परागत उर्जा (पवन, सोलर, बायोगैस) व ईंधन (बायोडिजल और ईथनोल आदि) के साधनों को बढ़ावा देना तथा इसके महत्व को जन-जन तक पहुंचाने के लिये विभिन्न कार्यक्रमों तथा परियोजना का संचालन करना।
9. लोक स्वास्थ्य, परिवार कल्याण एवं महिला एवं बाल स्वास्थ्य से संबंधित योजनाओं का क्रिया-वयन करना तथा स्वास्थ्य के प्रति लोगों जागरूकता लाने हेतु विभिन्न कार्यक्रमों को आयोजन करना। एच.आई.व्ही./एड्स एंव अन्य रोगों के प्रति जनता में जागरूकता फैलाना एवं रोकथाम हेतु कार्य करना तथा रक्त दान को बढ़ावा देने हेतु शिविर का आयोजन करना।
10. उपभोक्ता जागरूकता के लिये विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यमों से आम जनता को उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूक करना [illegible] सेवायें प्रदान करना। सम्पूर्ण भारत में कही भी निर्मित किसी भी वस्तु के उचित मापदण्डो का पालन करने के लिये ~~निर्माताओं~~ (निर्माताओं) का बाध्य करना व उनके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही हेतु उपभोक्ता की मदद करना,। सूचना का अधिकारो को प्रचार प्रसार व उनके उपयोग के लिये आम जनता को जागरूक करना।

संशोधन बैठक दिनांक 14/8/2010

अध्यक्ष	सचिव	कोषाध्यक्ष

पंजीयन क्र. 6122 दि. 1-4-06
संशोधन दिनांक 27-10-10

10. बागवानी, पशुपालन, मछली, मुर्गी, भेड इत्यादि के पालन, जैविक खेती, औषधि खेती को बढ़ाने हेतु प्रोत्साहित करना, इसकी उपलब्धता के लिये नर्सरी फार्म हाउस व उन्नत प्रजातियों के वितरण केन्द्रो की स्थापना करना। किसानो के हित में विभिन्न कार्यक्रमो का आयोजन करना साथ ही उन्नत खेती हेतु नवीन तकनीक (खादय/कीटनाशक/उन्नत बीज) कृषकों को अवगत तथा उपलब्ध करना तथा इसके प्रचार प्रसार एवं उपयोग को बढावा देना ।

11. वृद्ध, निराश्रित, विधवा, परित्यागता एवं मानसिक रूप से विक्षिप्त, व देह व्यापार मे लिप्त महिलाओ एवं पुरूषो के पुर्नवास का कार्य करना। महिलाओं/और बच्चों व वृद्धो के कल्याण हेतु सरकारी एवं गैर सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन एवं कार्यक्रमों का संचालन कराना। महिला नारियों को विकास मे सहयोगी बनाने एवं छात्राओं को शिक्षा मे प्रोत्साहन परिक्षण एवं उद्यान पुरस्कार प्रदान करना ।

12. अनाथ बच्चो के कल्याण एवं विकास हेतु बालगृह एवं पुर्नवास केन्द्रो के माध्यम से बालकों को समुचित विकास के अवसर प्रदान करना । बाल विकास योजनाओं का संचालन करना बालकों के बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक विकास को बढावा देने के लिए परिवार कल्याण कार्यक्रमों, पोषण आहार (माध्यन भोजन, आगंनबाडी/झूलाघर केन्द्रो) का संचालन करना । प्रारंभिक शिक्षा, स्वास्थ्य मनोरंजन आदि मूलाधार कार्यक्रमों के माध्यम से संरक्षण संवर्धन की गतिविधियों को संचालित करना ।

13. सामाजिक रूप से पिछड़े समुदायों, अल्पसख्यक, अनुसूचित जातियों (एस.सी/एस.टी) भूमिहीन व बंधुआ मजदुर, लघु कृषकों, सीमांत कृषकों के उत्थान के लिए विकास की विभिन्न गतिविधियो का सचांलन करना केन्द्र सरकार की ग्रामीण विकास कृषि गरीबी उन्मूलन सामाजिक कल्याण जैसे अन्य मंत्रालयों की नीतियों की जागरूकता, क्रियान्वयन गैर कृषिगत क्षेत्र से आय के स्त्रोतों को विकसित करना तथा छोटी बचत करने वाले समूहों का गठन कर आपस में मिल जुलकर कार्य करने की भावना को बढ़ावा देना

14. प्राकृतिक आपदायें जैसे – बाढ, भूकंप, सूखा, महामारी, जैसी स्थिति को संभालने के लिए हर संभव प्रयास कर राहत पहुंचाना एवं इस कार्य में अन्य संस्थाओं तथा व्यक्तियों के माध्यम से राहत सामग्री प्राप्त करने की व्यवस्था कर पीड़ितों को लाभ पहुंचाना आर्थिक विकास एवं औद्योगिकरण के कारण विस्थापित लोगो का पुर्नवास करना ।

15. शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के कमजोर एवं विकलांग लोगो के लिये रोजगारोन्मुख शिक्षा एवं स्वरोजगार के लिये प्रशिक्षण, उघमिता विकास कार्यक्रम का संचालन। समाज के विभिन्न वर्गो के सशक्तिकरण व उनकी कौशल दक्षताओं के विकास हेतु विभिन्न प्रशिक्षण तथा क्षमता विकास कार्यक्रमों को आयोजन करने के लिए केन्द्र व राज्य सरकार के विभिन्न मंत्रालय युवा केन्द्रो पंचायतो इत्यादि का सहयोग लेना । कमजोर वर्गो के शिक्षित बेरोजगारों को तकनीकी एवं रोजगारनुमा प्रशिक्षण कार्यक्रमो के माध्यम से प्रशिक्षण देना।

16. समाज के शैक्षणिक एवं आर्थिक विकास के लिये शिक्षण संस्थान स्कूल, कॉलेज एवं तकनीकी शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना करना एवं उनका संचालन करना। शिक्षा के विस्तार हेतु शिक्षा को

सचिव

कोषाध्यक्ष

संशोधन किया गया।
पंजीयन क्रं 6192 दि. 1-4-06
संशोधन दिनांक 27-10-10

रूचि पूर्ण बनाने हेतु रूचिपूर्ण (खेल खेल मे शिक्षा) शिक्षण सामग्री एवं तकनीक का निर्माण एवं इस हेतु राष्ट्रीय एवं अन्तराष्ट्रीय स्तर के उत्कृष्ट, हेरिटेज, सेतू स्कूल स्थापना एवं क्रियान्वयन/संचालन करना, इस हेतु सरकारी एवं गैर सरकारी देशी–विदेशी संस्थाओं से आर्थिक एवं तकनीकि सहयोग प्राप्त करना।

18. [illegible]

19. समाज व शिक्षा के क्षेत्र में नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों की स्थापना हेतु सामाजिक व शैक्षणिक संस्थाओं के माध्यम से आत्म अनुशासन एवं आदर्श राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण करना।

20. सामाजिक विकास के लिये रिसर्च, सर्वे, स्टडी, सामाजिक अध्ययन, पी.आर.ए. टी.ओ.टी एवं रिसोर्स केन्द्र का गठन करना।

21. भू–जल संवर्धन के उपायों एवं भूमि विकास के लिये कार्य करना, सूखे से मुक्ति हेतु कार्य करना, जलग्रहण विकास के कार्य करना। ऊर्जा, वन एवं पर्यावरण की सुरक्षा हेतु समर्पित भाव से कार्य करना एवं इसके महत्व को जन–जन तक पहुंचाने के लिये विभिन्न कार्यक्रमों तथा परियोजना का संचालन करना।

22. शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के कमजोर एवं विकलांग लोगो के लिये रोजगारोन्मुख शिक्षा एवं स्वरोजगार के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन। समाज के विभिन्न वर्गों के सशक्तिकरण व उनकी दक्षताओं के विकास हेतु विभिन्न प्रशिक्षण तथा क्षमता विकास कार्यक्रमों को आयोजन करना। कमजोर वर्गो के शिक्षित बेरोजगारों को तकनीकी एवं रोजगारनुमा प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से प्रशिक्षण [illegible]।

23. बागवानी, पशुपालन, जैविक खेती, औषधि खेती को बढ़ावा देना तथा लोगों को इसके लिये प्रोत्साहित करना। तथा किसानो के हित में विभिन्न कार्यक्रमो का आयोजन करना साथ ही उन्नत खेती हेतु नवीन तकनीक से कृषकों को अवगत करना तथा इसके लिये कार्य करना।

24. वृद्ध, निराश्रित, विधवा, परित्यक्ता एवं मानसिक रूप से विक्षिप्त महिलाओं, और बच्चों के कल्याण हेतु समर्पित भाव से सरकारी एवं गैर सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन एवं कार्यक्रमों का संचालन कराना।

25. [illegible]

26. सामाजिक रूप से पिछड़े समुदायों, वंचित, शोषित औरतो, अनुसूचित जातियो भूमिहीन लघु कृषको को प्राकृतिक संसाधन प्रदान करना । गैर कृषिगत क्षेत्र से आय के स्त्रोतों को विकसित करना तथा छोटी बचत करने वाले समूहों का गठन कर आपस में मिल जुलकर कार्य करने की भावना को बढ़ावा देना

अध्यक्ष
स्वामी सांदीपेन्द्र संस्कृत विद्या परिषद
शाजापुर जिला शाजापुर (म.प्र.)

सचिव
स्वामी सांदीपेन्द्र संस्कृत विद्या परिषद
शाजापुर जिला शाजापुर (म.प्र.)

कोषाध्यक्ष
स्वामी सांदीपेन्द्र संस्कृत विद्या परिषद

संशोधन स्वीकृत दिनांक 14/10/2010

अनुमोदन किया गया।
पंजीयन क्र. 6192 दि. 1-4-06
संशोधन दिनांक 27-10-10

26 समस्त शासकीय व गैर शासकीय मानव कल्याण की योजनाओं के क्रियान्वयन व संचालन करना
27 व इस हेतु राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों से वित्तीय व अन्य मदद प्राप्त करना। एवं ऐसे समस्त कार्य करना जो उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक हों।

28 बालकों को समुचित विकास के अवसर प्रदान करने के कलए बाल विकास योजनाओं का संचालन करना बालकों के बौद्विक, मानसिक, शारीरिक विकास को बढ़ावा देने के लिए परिवार कल्याण कार्यक्रमों, पोषण आहार कार्यक्रमों, प्रारंभिक शिक्षा, स्वास्थ्य मनोरंजन आदि मूलाधार कार्यक्रमों के माध्यम से संरक्षण संवर्धन की गतिविधियों को संचालित करना।

29. सामाजिक शैक्षणिक उन्नति के लिये पुस्तकालय, संगीत, कला, व्यायाम ~~शालाओं~~ शालाओं की स्थापना करना। स्वस्थ्य पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन करवाना तथा भारत के प्राचीन एवं पुरातात्विक संग्रहालयों हेतु ऐसे कार्यो को करना जिनसे उनका संरक्षण हो।

30 समाज व शिक्षा के क्षेत्र में नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों की स्थापना हेतु सामाजिक व शैक्षणिक संस्थाओं के माध्यम से आत्म ~~अनु-शासन~~ अनुशासन एवं आदर्श राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण करना।

31 समस्त शासकीय व गैर शासकीय कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन व संचालन का कार्य करना व इस हेतु राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों से वित्तीय व अन्य मदद प्राप्त करना।

32 सामाजिक आस्था के प्रतीक प्राचीन, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक धरोहरों एवं आध्यात्मिक धार्मिक- स्थलों का चयन कर उनके संरक्षण संवर्धन हेतु व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करना तथा सांस्कृतिक आध्यातिम्क केन्द्रों की स्थापना एवं संचालन करना।

33. समाज में शिक्षा, कला, हस्तशिल्प, साहित्य, खेल एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों को बढ़ाने हेतु कार्य करना, व इलेक्ट्रानिक मिडिया सम्बंधित गतिविधियों का संचालन करना व उपरोक्त क्षेत्र के अभावग्रस्त व्यक्तियों, उनके हितों की सहायता व मंच प्रदान करना।

34 सभी को शिक्षा ~~शिक्षा~~ के लोक व्यापी बनाने हेतु आगंन बाड़ी, बाल बाडी माध्यमिक प्राथमिक शिक्षा उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की व्यवस्था करना।

35 अनाथ बालक / बालिकाओ को ~~शिक्षा~~ शिक्षा छात्रावास जैसी मूलमूत सुविधाओ की व्यवस्था करने का प्रयास करना।

36 शिक्षित बरोजगारो को विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक तथा तकनीकि प्रशिक्षण प्रदान करना तथा महिलाओ को सिलाई कढ़ाई का प्रशिक्षण प्रदान करना।

37 अनेकानेक कार्यक्रमो के माध्यम से जन समुदाय को अपने अधिकारो कर्तव्यो शिक्षा साहित्य संस्कृति विज्ञान पर्यावरण परिवार कल्याण वनो खेलो को लोक व्यापी बनाने का प्रयास करना।

38 नारी शोषण दहेज प्रथा बालविवाह जैसी कुप्रथा को समाप्त करने हेतु तथा बाल श्रमिक सुधार गृह वृद्ध आश्रम नशा मुक्ति केन्द्रो की स्थापना करना तथा ~~शिक्षा~~ शिक्षा को बुनियादी प्रशिक्षण प्रदान करना।

39 ~~सरकारी तथा~~ व्यक्तिगत् स्वामित्व वाली भूमि पर, वृक्षारोपण करना तथा सामाजिक, यानिकी नर्सरी तैयार करना एवं इनका प्रचार प्रसार करना।

40 परिवहन विभाग के विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन करना एवं विभाग से संबंधित नियमों की जानकारी देने हेतु प्रशिक्षण शिविर लगाना एवं प्रचार प्रसार करना।

अध्यक्ष
स्वामी सांदीपेन्द्र संस्कृत विद्या परिषद
नलखेड़ा जिला शाजापुर (म.प्र.)

सचिव
स्वामी सांदीपेन्द्र संस्कृत विद्या परिषद
नलखेड़ा जिला शाजापुर (म.प्र.)

कार्यालय कोषाध्यक्ष
स्वामी सांदीपेन्द्र संस्कृत विद्या परिषद
नलखेड़ा जिला शाजापुर (म.प्र.)

पंजीयन क्र. 6192 दि. 1-4-06
संशोधन दिनांक 27-10-10

40/41 श्रम विभाग एवं श्रम कल्याण मण्डल द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी श्रमिकों को देना एवं इनके अधिकारों की जानकारी देने हेतु प्रशिक्षण शिविर आयोजित करना।

42 [illegible]

43 पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का संचालन करना एवं इन योजनाओं की जानकारी ग्रामीण क्षेत्र तक पहुँचाने के लिए शिविर आयोजित कर विभिन्न माध्यमों से इनका प्रचार प्रसार करना।

44 अनुसूचित जाति, जनजाति एवं आदिवासी बहुल क्षेत्रों में स्कूल महाविद्यालय एवं छात्रावास स्थापित करना तथा स्वरोजगार हेतु विभिन्न प्रकार के तकनिकी प्रशिक्षण देना।

45 फसलों एवं फलों के संरक्षण के लिए [illegible] एवं किसानों को जागरूक बनाने के लिए प्रशिक्षण देना।

46 पर्यावरण नियोजन एवं प्रदुषण से संबंधित विभिन्न योजनाओं का क्रियांवयन करना तथा विभिन्न माध्यमों से इसका प्रचार प्रसार करना।

47 हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास से संबंधित विभिन्न शासकीय योजनाओं का क्रियांवयन करना एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को जागरूक बनाना।

48 सूचना एवं प्रोद्योगिकी विभाग (एजेंसी फॉर प्रमोशन ऑफ इंफोरमेशन टेक्नोलोजी) से जुड़ी सभी योजनाओं का क्रियांवयन, सहयोग करना एवं इस हेतु प्रचार प्रसार करना।

49 [illegible]

50 खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित की जा रही विभिन्न योजनाओं का क्रियांवयन एवं सहयोग करना। एवं इन योजनाओं की जानकारी लोगों को पहुँचाने के लिए विभिन्न माध्यमों से इसका प्रचार प्रसार करना।

(5) सदस्यता- संस्था के निम्नलिखित श्रेणी के सदस्य होंगे।

(अ) संरक्षक सदस्य- संस्था को जो व्यक्ति दान के रूप मे रूपये 5001/- (अक्षरी पाँच हजार एक रूपये मात्र) या अधिक एक मुश्त या एक साल में बारह किश्तों में देगा वह समिति का संरक्षक सदस्य होगा।

(ब) आजीवन सदस्य - जो व्यक्ति संस्था के दान के रूप में रूपये 2500/- (अक्षरी पच्चीस सौ रूपये मात्र) या अधिक देकर वह आजीवन सदस्य बन सकेगा। कोई भी आजीवन सदस्य रूपये 2500/- या अधिक देकर संरक्षक सदस्य बन सकता है।.

(स) साधारण सदस्य -जो व्यक्ति रूपये 100/- अक्षरी (एक सौ रूपये प्रतिमाह) रूपये 1200/- प्रतिवर्ष संस्था का चन्दे के रूप में देगा वह साधारण सदस्य होगा। साधारण सदस्य केवल उसी अवधि के लिये सदस्य होगा जिसके लिये उसने चन्दा दिया है जो साधारण सदस्य बिना

अध्यक्ष स्वामी सांदीपेन्द संस्कृत विद्या परिषद मलखेड़ा जिला शाजापुर (म.प्र.)	सचिव स्वामी सांदीपेन्द संस्कृत विद्या परिषद मलखेड़ा जिला शाजापुर (म.प्र.)	कोषाध्यक्ष स्वामी सांदीपेन्द संस्कृत विद्या परिषद मलखेड़ा जिला शाजापुर (म.प्र.)

संशोधन किया गया। पंजीयन क्रं. 6192 दि. 1-4-06 संशोधन दिनांक 23-10-10

संतोषजनक कारणों के छः माह तक देय चन्दा नहीं देगा उसकी सदस्यता समाप्त हो जावेगी। ऐसे सदस्य द्वारा संस्था के लिये नया आवेदन पत्र देने तथा बकाया चंदे की राशि देने पर पुनः सदस्य बनाया जा सकता है।

(द) सम्मानीय सदस्य- संस्था को प्रबंधकारणी किसी व्यक्ति या व्यक्तियां को उस समय के लिये जो भी वह उचित समझे सम्मानीय सदस्य बनासकती है ऐसे सदस्य साधारण सभा बैठक में भाग ले सकते है परन्तु उनको मत देने का अधिकार न होगा।

(6) सदस्यता की प्राप्ति- प्रत्येक व्यक्ति जो कि समिति का सदस्य बनने का इच्छुक हो लिखित रूप में आवेदन करना होगा। ऐसे आवेदन पत्र प्रबंधकारणी समिति को प्रस्तुत होगा जिसके आवेदन पत्र को स्वीकार करने या अमान्य करने का अधिकार होगा।

(7) सदस्यों की योग्यता- संस्था का सदस्य बनने के लिये व्यक्ति मे निम्न लिखित योग्यता होना आवश्यकता है:-

(1) आयु 18 वर्ष से कम न हो। (2) समिति के नियमों के पालन की प्रतिज्ञा का हो । (3) सद्चरित्र हो तथा मद्यपान न करता हो।

(8) सदस्यता की समाप्ति- संस्था की सदस्यता निम्नलिखित स्थिति में समाप्त हो जावेगी :-

(1) मृत्यु हो जाने पर (2) पागल हो जाने पर (3) संस्था को देय चन्दे की रकम नियम 5 में बताये अनुसार जमा न करने पर (4) त्याग-पत्र देने पर और वह स्वीकार होने पर (5) चरित्रक दोष होने पर और कार्यकारिणी समिति के निर्णयानुसार निकाल दिये जाने पर जिसके निर्णय पारित होने की सूचना सदस्य को लिखित रूप में देना होगी।

(9) संस्था कार्यालय में सदस्य पंजी रखी जावेगी जिससे निम्न ब्यौरे दर्ज किये जावेगे:-

(1) प्रत्येक सदस्य का नाम, पता तथा व्यवसाय एवं दिनांक सहित सदस्य के हस्ताक्षर

(2) वह तारीख जिसको सदस्यों को प्रवेश दिया गया हो व रसीद नं.

(3) वह तारीख जिससे सदस्यता समाप्त हुई हो।

(10) (अ) साधारण सभा- साधारण सभा में नियम 5 में दर्शाये श्रेणी के सदस्य समावेशित होंगे। साधारण सभा की बैठके आवश्यकतानुसार हुआ करेगी। परन्तु वर्ष में एक बार बैठक अनिवार्य होगी। बैठक का माह तथा बैठक का स्थान व समय कार्यकारणी समिति निश्चित् कर 15 दिवस पूर्व प्रत्येक सदस्य को दी जावेगी। बैठक का कोरम 3/5 सदस्यों का होगा। संस्था की प्रथम आम सभा पंजीयन दिनांक से 3 माह के भीतर बुलाई जावेगी उसमें संस्था के पदाअधिकारी का विधिवत निर्वाचन किया जावेगा यदि संबंधित आमसभा का आयोजन किसी समय नही किया जाता

अध्यक्ष
स्वामी सांदीपेन्द संस्कृत विद्या परिषद
नलखेड़ा जिला शाजापुर (म.प्र.)

सचिव
स्वामी सांदीपेन्द संस्कृत विद्या परिषद
नलखेड़ा जि. शाजापुर (म.प्र.)

कोषाध्यक्ष
स्वामी सांदीपेन्द संस्कृत विद्या परिषद
नलखेड़ा जिला शाजापुर (म.प्र.)

पंजीयन क्रं. 6192 दि. 1-4-06
संशोधन दिनांक 27-10-10

है तो पंजीयन को अधिकार होगा कि वह संस्था की आम सभा का आयोजन किसी जिम्मेदार कर्मचारी के मार्गदर्शन में एवं पदाधिकारियों कसे विधिवत् चुनाव कराया जावेगा।

(ब) प्रबन्धकारिणी सभाः- प्रबन्धकारिणी सभा बैठक प्रत्येक माह तथा बैठक का एजेन्डा तथा सूचना बैठक दिनांक से सात दिन पूर्व कार्यकारिणी के प्रत्येक सदस्य को भेजी जाना आवश्यकता होगी। बैठक में कोरम 1/2 सदस्यों की होगी। यदि बैठक का कोरम पूर्ण नही होता है तो बैठक एक घण्टे के लिये स्थगित की जाकर उसी स्थान पर उसी दिन पुनः की जा सकेगी जिसके लिये कोरम कि शर्त न होगी।

(स) विशेषः- यदि कम से कम कुल संख्या (कुल सदस्यों की संख्या का) के 2/3 सदस्यों द्वारा लिखित रूप से बैठक बुलाने हेतु आवेदन करें तो उनके दर्शाये विषय पर विचार करने के लिये साधारण सभा बुलायी जावेगी। विशेष संकल्प पारित हो जाने पर संकल्प की प्रति बैठक पंजीयन क) के 2/3 सदस्यों द्वारा लिखित रूप से बैठक बुलाने हेतु आवेदन करें तो उनके दर्शाये विषय पर विचार करने के लिए साधारण सभा की बैठक बुलायी जावेगी। विशेष संकल्प पारित हो जाने पर संकल्प की प्रति बैठक पंजीयक का संकल्प हो जाने के दिनांक से 14 दिन के भीतर भेजा जावेगा। पंजीयक को इस संबंध में आवश्यकता निर्देश जारी करने तथा समिति को परामर्श देने का अधिकार होगा।

(11) साधारण सभा के अधिकार व कर्तव्यः- (क) संस्था के पिछले वर्ष का वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन स्वीकृत करना (ख) संस्था की स्थाई निधि व संपति की ठीक व्यवस्था करना। (ग) आगामी वर्ष के लिये लेखा परीक्षको की नियुक्ति करना। (घ) अन्य ऐसे विषयों पर विचार करना जो प्रबन्धकारिणी द्वारा प्रस्तुत हो। (च) संस्था द्वारा संचालित संस्थाओं के आय-व्यय पत्रकों को स्वीकृत करना (छ) बजट का अनुमोदन करना।

(12) प्रबन्धकारिणी का गठनः- नियम 5 (अ,ब,स) में दर्शाये गये सदस्यो जिनके नाम पंजी रजिस्टर में दर्ज हो बैठक में बहुमत के आधार पर निम्नांकित पदाधिकारियों तथा प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यों का निर्वाचन होगा।

(1) अध्यक्ष (2) उपाध्यक्ष (3) सचिव (4) कोषाध्यक्ष (5) संयुक्त सचिव एवं सदस्य 6

(13) प्रबन्ध समिति का कार्यकाल :- प्रबंध समिति का कार्यकाल तीन वर्ष होगा समिति का यथेष्ठा कारण होने पर उस समय तक जब तक कि नई प्रबंधकारिणी समिति का निर्माण नियमानुसार या अन्य कारणो से नही हो जाता, करती रहेगी किन्तु उक्त अवधि 6 माह से अधिक नहीं होगी जिसका अनुमोदन साधारण सभा से कराना अनिवार्य होगा।

अध्यक्ष
स्वामी सारदीन्द्र संस्कृत विद्या परिषद
नलखेड़ा जिला शाजापुर (म.प्र.)

सचिव
स्वामी सारदीन्द्र संस्कृत विद्या परिषद
नलखेड़ा जिला शाजापुर (म.प्र.)

कोषाध्यक्ष
स्वामी सारदीन्द्र संस्कृत विद्या परिषद
नलखेड़ा जिला शाजापुर (म.प्र.)

पंजीयन क्र. 6192 दि. 21-4-06
संशोधन दिनांक 27-10-10

(14) प्रबन्धकारिणी के अधिकार व कर्तव्यः- (अ) जिन उद्‌देश्यों की प्राप्ति हेतु समिति का गठन हुआ है उसकी पूर्ति करना और इस आशय की पूर्ति हेतु व्यवस्था करना।

(ब) पिछले वर्ष का आय-व्यय का लेखा पूर्णतः परीक्षित किया हुआ प्रगति प्रतिवेदन के साथ प्रतिवेदन के साथ प्रति वर्ष साधारण सभा की बैठक में प्रस्तुत करना।

(स) समिति एवं उसके अधीन संचालित संस्थाओं के कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते आदि का भुगतान करना संस्था की चल अचल सम्पति पर लगने वाले कर आदि का भुगतान करना।

(द) कर्मचारियों, शिक्षकों आदि की नियुक्ति करना।

(ई) अन्य आवश्यकता कार्य करना, जो साधारण सभा द्वारा समय-समय पर सोपे जाए।

(च) संस्था की समस्त चल अचल संपत्ति, कार्यकारिणी समिति के नाम से रहेगी।

(छ) संस्था द्वारा कोई भी स्थावर संपत्ति, रजिस्ट्रार की लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय द्वारा या अन्यथा अर्जित या स्थानांतरित ही की जाएगी।

(ज) विशेष बैठक आमंत्रित कर संस्था के विधान में संशोधन किये जाने के प्रस्ताव पर विचार विमर्श कर साधारण सभा की विशेष बैठक में उसकी स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करेगी। साधारण सभा में कुल सदस्यों 2/3 मत से संशोधित पारित होने पर उक्त प्रस्ताव पारित कर पंजीयक को अनुमोदन हेतु भेजा जावेगा।

(15) अध्यक्ष के अधिकार :- अध्यक्ष साधारण सभा तथा प्रबन्धकारिणी समिति की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा तथा मंत्री द्वारा साधारण सभा में प्रबंन्धकारिणी की बैठकों का अयोजन कर वाऐगा। अध्यक्ष का मत विचारार्थ विषयों में निर्णयात्मक होगा।

(16) उपाध्यक्ष के अधिकार :- अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष द्वारा साधारण सभा एवं प्रबन्धकारिणी की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा। अध्यक्ष के समस्त अधिकारो का उपयोग करेगा।

(17) सचिव (मंत्री) के अधिकार :- (1) साधारण सभा एवं प्रबंधकारिणी की बैठक समय-समय पर बुलाना और समस्त आवेदन पत्र तथा सुझाव जो प्राप्त हो प्रस्तुत करना। (2) समिति का आय-व्यय का लेखा परीक्षण से प्रतिवेदन तैयार करके साधारण सभा के सम्मुख प्रस्तुत करना। (3) समिति के सारे कागजातों को तैयार करवाना। उनका निरीक्षण करना व अनियमितता पाये जाने पर उसकी सूचना प्रबंधकारिणी को देना। (4) सचिव को किसी कार्य के लिये एक समय में रूपये 500/- खर्च करने का अधिकार होगा। (5) सचिव की अनुपस्थिति में सचिव के कार्य संयुक्त सचिव करेगा।

अध्यक्ष
स्वामी सांदीपेन्द्र संस्कृत शिक्षा परिषद
नलखेड़ा जिला शाजापुर (म.प्र.)

सचिव

कोषाध्यक्ष
स्वामी सांदीपेन्द्र संस्कृत शिक्षा परिषद
नलखेड़ा जिला शाजापुर (म.प्र.)

(63) 18 **कोषाध्यक्ष के अधिकार:-** समिति की धनराशि का पुर्ण हिसाब रखना तथा सचिव या कार्यकारिणी द्वारा स्वीकृत व्यय करना।

(19) **बैंक खाता :-** संस्था की समस्त निधि किसी बैंक या पोस्ट ऑफिस मे रहेगी धन का आहरण अध्यक्ष या मंत्री तथा कोषाध्यक्ष के सयुक्त हस्ताक्षरो से होगा दैनिक व्यय हेतु कोषाध्यक्ष के पास अधिकतम रूपये 500/- रहेगे।

(20) **पंजीयक को भेजी जाने वाली जानकारी :-** अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत संस्था की वार्षिक आमसभा होने के दिनांक से 45 दिन के भीतर निर्धारित प्रारूप पर कार्यकारिणी समिति की सूची फाइल की जावेगी। तथा धारा 28 के अन्तर्गत संस्था की परीक्षीत लेखा भेजेगी। निर्धारित शुल्क सहित।

(21) **संशोधन :-** संस्था के विधान में संशोधन साधारण सभा की बैठक में कुल सदस्यो के 2/3 मतो से पारित होता। यदि आवश्यक हुआ तो संस्था के हित में उसके पंजीकृत विधान में संशोधन करने के अधिकार पंजीयक फार्म्स एंव संस्थाए को होगा। जो प्रत्येक सदस्य को मान्य होगा निर्धारित शुल्क सहित।

(22) **विघटन :-** संस्था का विघटन साधारण सभा मे कुल सदस्यो के 3/5 मत से पारित किया जावेगा। विघटन के पश्चात् संस्था की चल अचल सम्पत्ति किसी समान उददेश्यो वाली संस्था को सौंप दी जावेगी। उक्त समस्त कार्यवाही अधिनियम के प्रावधानो के अनुसार की जावेगी।

(23) **सम्पत्ति :-** संस्था की समस्त चल अचल सम्पत्ति संस्था के नाम से रहेगी संस्था की अचल सम्पत्ति (स्थावर) रजिस्ट्रार फर्म्स एंव संस्थाए की लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय द्वारा दान द्वारा या अन्यथा प्रकार से अर्जित या हस्तान्तरित नही की जा सकेगी निर्धारित शुल्क सहित अधिनियम के प्रावधानो के अनुसार।

(24) **बैंक खाता :-** संस्था की समस्त निधि किसी अनुसुचित बैंक या पोस्ट ऑफिस मे खोला जाएगा एंव समय-समय पर धन जमा करने व निकालने की प्रकिया जारी रहेगी।

(25) **पंजीयक द्वारा बैठक बुलाना :-** संस्था की पंजीयत नियमावली के अनुसार पदाधिकारियो द्वारा वार्षिक बैठक न बुलाए जाने पर या अन्य प्रकार से आवश्यक होने पर पंजीयक फर्म्स एंव संस्थाए की बैठक बुलाने का अधिकार होगा साथ ही यह बैठक में विचारार्थ विषय निश्चित कर सकेगा

(26) **विवाद :-** संस्था में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर अध्यक्ष को साधारण सभा के अनुमती से सुलझाने का अधिकार होगा यदि इस निश्चित या निर्णय से पक्षो को संतोष न होतो वह रजिस्ट्रार की ओर विवाद के निर्णय के लिए भेज सकेगे। रजिस्ट्रार का निर्णय अन्तिम व सर्व

अध्यक्ष
स्वामी सांदीपेन्द्र संस्कृत शिक्षा परिषद
नलखेड़ा जिला शाजापुर (म.प्र.)

पंजीयन क्र. 6192 दि. 1-4-06
सचिव
स्वामी सांदीपेन्द्र संस्कृत शिक्षा परिषद
नलखेड़ा जिला शाजापुर (म.प्र.)

कोषाध्यक्ष
स्वामी सांदीपेन्द्र संस्कृत शिक्षा परिषद
नलखेड़ा जिला शाजापुर (म.प्र.)

असिस्टेंट रजिस्ट्रार
फर्म्स एवं संस्थाएं उज्जैन

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

17AA 268986

संस्था [illegible] स्वामी विवेकानन्द [illegible]

पता [illegible] स्वामी विवेकानन्द [illegible]

पंजीयन क्रमांक 6192 दिनांक 1-5-06

पंजीयन ~~प्रमाण पत्र / [illegible]~~ संशोधित नियमावली संशोधन दि. 27-10-10

की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ संलग्न है।